International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
Impact Factoe-3.866
Volume 3, Issue 10, October 2016 ISSN(O): (2349-4085)
ISSN(P): (2394-4218)
©ASSOCIATED Asia Research Foundation
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

प्राचीन भारत में शूद्रो की सामाजिक स्थिति

डॉ0 राकेश रंजन सिन्हा,
एसोशिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
इतिहास विभाग, कुवंर सिंह महाविद्यालय,
लहेरियासराय, दरभंगा।

ऋग्वेद में शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख पुरूष सुक्त में है जिसमें कहा गया है कि विष्व–पुरूष के चरणों में शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद की एक दूसरी ऋचा से शूद्र के कार्य या श्रम करने का पता चलता है। विष्व–पुरूष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का अर्थ विद्वानों ने यह लगाया कि उसका जन्म समाज के तीन अन्य वर्गो की सेवा करने के लिए हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वैदिक काल के समाज में दासों (अनार्यो) की गणना शूद्र वर्ण में की गई क्योंकि वे शारीरिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों से आर्यो से भिन्न थे।

सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में एक मन्त्र वण–व्यवस्था पर भी लिखा हुआ है–

ब्राह्मणों अस्य मुख्मासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
उक तदस्य यद् वैष्यः पदभ्याँ शूद्रों अजायत।।

अर्थात् ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों का विकास हुआ है। राजा अर्थात् क्षत्रिाय उसकी भुजा हैं, वैष्य उसके पेट के समान है तथा शूद्र उसके पैर हैं।

ऋग्वेद में भी एक स्थान पर लिखा हुआ है–

"न दासी नार्यो महित्वा व्रत निभाय"

अतः वर्ण–व्यवस्था को उतना ही प्राचीन कहा जा सकता है, जितना प्राचीन ऋग्वेद है तथा इसमें समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं।

कालान्तर में वर्णो का विभाजन जन्म के आधार पर किया जाने लगा। इसके उपरान्त वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। चारों वर्ण के कार्य, कर्त्तव्य और सीमायें

निर्धारित कर दी गयी। बालक की जाति उसके पिता की जाति पर निष्चित की जाने लगी। उस काल में यह भी माना जाने लगा कि ब्राह्मण का पुत्र, चाहे किसी जाति की स्त्री से उत्पन्न हो, ब्राह्मण ही कहलायेगा। मनुस्मृति के अनुसार–

"त्रिष वर्गेषु जातोहि ब्राह्मणाद् ब्राह्मणों भवेत्"

अतः कालान्तर में यह व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित की जाने लगी परन्तु गुण और कर्मो के आधार पर भी व्यवस्था चलती रही। मनु ने अपनी स्मृति में जाति को कर्म पर ही आधारित स्वीकार किया है।

"जन्माना जायेत शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते।"

किंतु सभी अनार्यो को दास नहीं कहा गया। अनार्यो में से कुछ स्वतंत्र भी रहे होंगे। संभवतः जो अनार्य दास नहीं बनाए गए उन्हीं के लिए परवर्ती ग्रंथों में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शूद्र संभवतः अपने गाँवों में खेती करते थे। वे पशु–पक्षियों का षिकार करके या मछली मार कर अपना निर्वाह करते थे। संभवतः आर्य इन अनार्यो से वैवाहिक संबंध नहीं करते थे।

अथर्ववेद के उन्नीसवें अध्याय में शूद्रों का वर्णन एक वर्ग के रूप में किया गया है। इससे अनुमान होता है कि संभवतः शूद्र आर्यो का ही एक कबीला था जो ऋग्वैदिक आर्यो के बाद 1500 ई0पू0 के लगभग भारत आया। संभवतः भूमि और पशुओं के लिए ऋग्वैदिक आर्यो और शूद्रों में संघर्ष हुआ। जिसमें शूद्र पराजित हुए। इसलिए उन्हें भी पराजित अनार्यो का दर्जा मिला। बाद में अनेक अनार्य जातियों की गणना, जो भारत में आर्यो के आने से पहले रहती थीं, शूद्रों में कर ली गई। ब्राह्मण ग्रंथों में 'रथकार' और 'तक्षक' की गणना रत्नियों में की गई थी। इससे स्पष्ट है कि उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी। प्रारंभ में चौपड़ में शूद्र भी राजा के साथ भाग लेते थे, अष्वमेध यज्ञ के समय राजा स्वयं 'रथकार' के घर ठहरता था।

उत्तर वैदिक काल में आर्यो और दासों के वैवाहिक संबंध होने लगे। आर्य शूद्र स्त्री से विवाह कर सकता था, किंतु शूद्र को आर्य स्त्री से विवाह करने का अधिकार न था। वैष्यों और शूद्र के व्यवसाय प्रायः एक जैसे थे। अतः वैष्य और शूद्र एक दूसरे के निकट आ गए। वैष्य शूद्र स्त्रियों से विवाह करने के कारण बाह्मण और क्षत्रियों की भांति रक्त की पवित्रता न रख सके। इसलिए इन दो उच्च वर्गो ने शूद्रों से बचने के लिए कुछ

नियम बनाए। परंतु इस काल में सभी विद्वान शूद्रों से संबंध तोड़ने के पक्ष में न थे। 'काठक संहिता' के अनुसार शूद्रों से अग्निहोत्र के लिए गाय का दूध नहीं निकलवाना चाहिए, किंतु शतपथ ब्राह्मण सोम यज्ञ में शूद्र को भाग लेने का अधिकार देता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने उस धार्मिक क्रिया का उल्लेख किया है जिसके द्वारा रथकार के लिए यज्ञ की अग्नि की स्थापना की जाती थी। रथकार की गणना शूद्रों में की जाती थी परंतु उसे वैदिक यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। एक दूसरे प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण का मत है कि यज्ञ के लिए अभिषिक्त व्यक्ति को शूद से बात नहीं करनी चाहिए, किन्तु उपनिषदों से ज्ञात होता है सत्यकाम, जाबाल और जनाश्रुति जैसे शूद्रों को वैदिक दर्षन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणों के अनुसार राजसूय यज्ञ के समय अभिषिंचित क्रिया में शूद्रो को भाग लेने का अधिकार नहीं है। शूद्रो का उपनयन संस्कार भी नहीं होता था किन्तु उसे सभी वैदिक धार्मिक क्रियाओं से वंचित नहीं किया जाता था। निषाद एक अनार्य जाति का व्यक्ति था किंतु उसे यज्ञ करने का अधिकार था। शूद्र अन्य तीन वर्णो के व्यक्तियों के साथ देवताओं के लिए हवि बनाने में भी भाग लेता था। किन्तु शतपथ ब्राह्मण में ही लिखा है कि प्रवर्ग्य अनुष्ठान के अवसर पर स्त्री और शूद्र के संपर्क से बचना चाहिए। उसक कर्तव्य सदा दूसरों की सेवा करना है। यह भी कहा गया है कि क्षत्रिय के विरूद्ध यह संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस कल में शूद्र की स्थिति अस्पष्ट थी। कुछ विद्वान शूद्रों को समाज से अलग नहीं करना चाहते थे और कुछ उन्हें पूर्णतया अलग करना चाहते थे। इस काल के जो प्राचीन संदर्भ मिले हैं उनसे ऐसा ज्ञात होता है कि शूद्र सामुदायिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य वर्णो के साथ भाग लेते थे। किन्तु इस काल के अंत की ओर उन्हें अधिकतर धार्मिक कृत्यों से वंचित कर दिया गया। रामषरण शर्मा का मत है शूद्रों के धार्मिक कृत्यों से वंचित कियाए जाने का प्रमुख कारण उनकी आर्थिक दषा थी। वे ब्राह्मणों की दक्षिणा में पुष्कल धनराषि देने में असमर्थ थे।

उत्तर–वैदिक काल के अन्त में शूद्रों के विरूद्ध कठोर नियम बनाए गए। यज्ञ के लिए अभिषिक्त व्यक्ति का शूद्र से बात करना भी अनुचित ठहराया गया। यह विचारधारा अपने विकसित रूप से हमें धर्म–सूत्रों में मिलती है। गौतम (लगभग 400 ई0पू0) और आपस्तंब (लगभग 400 ई0पू0) का मत है कि ब्राह्मण स्वयं किसी शूद्र को भोजन न

कराए। यह कार्य ब्राह्मण को अपने दास के द्वारा कराना चाहिए। आपस्तंब के अनुसार यदि जिस समय ब्राह्मण भोजन कर रहा हो, कोई शूद्र उसे छू ले तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए क्योंकि शूद्र के स्पर्ष के कारण वह ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। उसने लिखा है कि जो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करना चाहे उसे शूद्रों और स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए।

सभी धर्म–सुत्रों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र का दिया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, किन्तु शूद्रों को आर्यो के निरीक्षण में भोजन बनाने के कार्य में लगाया जाता था। शर्त केवल यह थो कि उनके बाल और नाखून कटे हुए हों और उन्होंने स्नान कर लिया हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल ब्राह्मण शूद्रों का भोजन नहीं करते थे। क्षत्रियों और वैष्यों को शूद्रों का भोजन करने में आपत्ति नहीं थी।

किन्तु इस काल में भी द्विजों के कुछ व्यक्ति शूदों के साथ विवाह करते थे। यह बात धर्म–सूत्रों में संकर जातियों के विवेचन में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए वसिष्ठ धर्म–सूत्र में लिखा है कि शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता का पुत्रा चंडाल होता है और उसके साथ जाति से बहिष्कृत व्यक्ति के समान व्यवहार करना चाहिए। आपस्तंब के अनुसार चंडाल के देखने और छूने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो जाती है। शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता के पुत्र को चंडाल की भांति अस्पृष्य समझा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल क आरंभ में अनुलोम विवाहों में, जिनमें पिता का वर्ण माता के वर्ण से ऊँचा होता था पुत्र का वर्ण वही होता था जो उसके पिता का होता था। इसका यह अर्थ होगा कि वैष्य पिता और शूद्र माता का पुत्र वैष्य ही होता होगा। महाभारत में लिखा है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है चाहे उसकी माता क्षत्रिय हो या वैष्य।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में शूद्रों से आषा की जाती थी कि वे पवित्रता, सत्यता और नम्रता से अपना जीवन व्यतीत करें। प्रत्यक शूद्र का कर्तव्य था कि वह प्रतिदिन स्नान करे यथा अपने आश्रित प्राणियों का भरण–पोषण करे। उसे तीन उच्च वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए और संयम से अपना जीवन बिताना चाहिए। वह कुछ निम्न स्तर के व्यवसाय करके भी अपना निर्वाह कर सकता था जैसे कि नाई, धोबी, चित्रकार, बढ़ई और लुहार के काम। शूद्र से यह भी आषा की जाती थी कि जब उसके स्वामी पर कोई आपत्ति आय तो, वह जी–जान से उसकी सेवा करे।

इस काल में शूद्रों को निष्चय ही अनके सामाजिक, धार्मिक तथा वैध अधिकारों से वंचित कर दिया गया और अन्य तीन वर्णो की अपेक्षा समाज में उनकी स्थिति बहुत हीन हो गई। किन्तु इस काल में ही उन्हें सर्वथा अस्पृष्य नहीं समझा जाता था। द्विज उन्हें नौकर रखते थे, उनके साथ घर के सदस्यों की भांति व्यवहार करते थे और वे घर के सभी कार्य करते थे। वे स्नान करके द्विजों के लिए भोजन भी बनाते थे। शूद्रों का जीवन सर्वथा दयनीय था। यदि किसी कारण से वे स्वामी की सेवा न कर सकें तब भी स्वामी का कर्तव्य था कि उनका भरण–पोषण करे।

संदर्भ स्त्रोत :

1. ऋग्वेद
2. महाभारत
3. मनुस्मृति
4. राधा कुमुद्र मुखर्जी – प्राचीन भारत।
5. अद्भत भारत – ए0 एल0 बाषम।
6. प्राचीन भारत का इतिहास – डी0 एन0 झा।